# आईआईटी में पढ़ रहे मोशन एलुमनाई ने कोटा मोशन के छात्रों को सफलता के सूत्र दिए

कोटा, (निसं)। देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों जैसे आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, रुड़की, बीएचयू और हैदराबाद में अध्ययनरत मोशन एजुकेशन के 19 पूर्व छात्रों ने शुक्रवार को कोटा में वर्तमान में अध्ययनरत छात्रों को सफलता के सूत्र दिये।

मोशन एजुकेशन के एलुम्नाई ने प्रेरणादायक पहल करते हुए द्रोणा-2 कैम्पस में छात्रों के साथ संवाद सत्र में भाग लिया और जेईई की तैयारी में अपनी अनुभवजन्य सीख साझा की। उल्लेखनीय है कि मोशन एजुकेशन द्वारा हाल ही में जारी जेईई एडवांस्ड के उत्कृष्ट परिणामों में 6 छात्रों ने टॉप 100 रैंक, 23 छात्रों ने टॉप 500 और 47 छात्रों ने टॉप 1000 में स्थान प्राप्त किया। कुल 6,332 छात्रों में से 3,231 छात्रों ने जेईई एडवांस्ड में सफलता प्राप्त की, जो 51.02 प्रतिशन की सफलता दर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 23.68 प्रतिशन से दोगुनी से भी अधिक है।

कार्यक्रम की शुरुआत में मोशन एजुकेशन के संस्थापक और सीईओ नितिन विजय के प्रेरक संबोधन देते हुए कहा, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि मोशन के ये पूर्व छात्र, जो अब देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अध्ययनरत हैं, आज फिर से अपनी जड़ों को लौटे हैं और आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। छात्रों को सदैव जिज्ञासु बनना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछना चाहिए, यही सीखने का मूल मंत्र है।

कोटा में आईआईटी में पढ़ रहे मोशन एलुमनाई ने मोशन के छात्रों को सफलता के सूत्र दिए हैं।

इस अवसर पर मोशन एजुकेशन के पूर्व छात्रों ने परीक्षा की रणनीति, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट की भूमिका, बोर्ड और जेईई के बीच संतुलन, तनाव प्रबंधन और मानसिक मजबूती जैसे अहम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी हैं। एलुम्नाई ने भावुक होकर कहा कि कोटा में उनका बिताया समय, मोशन की टेस्ट सीरीज, अनुशासित माहौल और फैकल्टी का सपोर्ट उनकी सफलता की नींव बने।

छात्रों के एक सवाल के जवाब में, आईआईटी में जीवन कैसा होता है? एलुम्नाई ने बताया कि आईआईटी में न केवल शिक्षा का स्तर उच्च होता है, बल्कि यहां म्यूजिक, स्पोर्ट्स, टेक्निकल क्लब और सांस्कृतिक उत्सव जैसे विविध मंच

■ 'कोटा और मोशन हमारी जड़ों में हैं, यहां आना घर लौटने जैसा है'

भी मिलते हैं, जो व्यक्तित्व के समग्र विकास में सहायक होते हैं।

मोशन एजुकेशन के ज्वाइंट डायरेक्टर व जेईई डिवीजन हेड रामरतन द्विवेदी ने कहा, इस संवाद से छात्रों को न केवल परीक्षा की बेहतर समझ मिली है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास और प्रेरणा का नया संचार हुआ है। यह पहल उन्हें एक्जाम ही नहीं, जीवन की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगी।

इस कार्यक्रम में डिप्टी डायरेक्टर एवं अकादमिक हेड, मोशन एजुकेशन, निखिल श्रीवास्तव भी शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात एलुम्नाई ने अपने पुराने हॉस्टल, क्लासरूम्स और कोचिंग परिसर का दौरा किया। कोटा की गलियों से गुजरते हुए उन्होंने कहा, कोटा और मोशन ने हमारी नींव मजबूत की है। यहां लौटना घर लौटने जैसा अहसास देता है।

## वंदे गंगा जल सेवा की

रामगंजमण्डी, (निसं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में 5 जून गुरुवार से 20 जून शुक्रवार तक गंगा दशहरा अभियान के अन्तर्गत अधिकाधिक वर्षा जल संग्रहण तथा विद्यमान जल स्त्रोतों के रखरखाव एवं स्वच्छता हेतु जल स्वावलम्बन पखवाड़ा वंदे गंगा मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। वंदे गंगा पखवाड़े की थीम पंच तत्व रखी गई। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड एवं मानव शरीर पंच तत्व (पृथ्वी, वायु, अग्नि जल एवं आकाश) से मिलकर बना है। अत: पखवाड़े के दौरान होने वाले कार्यक्रमों को पंच तत्वों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून गुरुवार से 20 जून शुक्रवार तक विभाग से सम्बंन्धित शुक्रवार को की गई गतिविधि में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वंदे गंगा जल सेवा की गई। जिसमें खैराबाद बस स्टैंड पर पानी की इंस्टाल प्याऊ लगाई गई व जल नमूना परीक्षण के अंतर्गत 111 क्लोरीन, 80 जीवाणु, 38 रासायनिक के सैम्पल, रामगंजमंडी, सातलखेड़ी, सुकेत, खैराबाद, रावली, बंदा व उंडवा से लिये गए। इसमें कोटा से आये रसायनिज्ञ वैज्ञानिक तरुण शर्मा, सहायक अभियंता बलभद्र शर्मा, कनिष्ठ अभियंता, रक्षा पटेल, अमीषा भील व तकनीकी कर्मचारियों सहित ग्रामीणों ने भाग लिया। जहां ग्रामीण जन को जल संरक्षण की जानकारी दी गई।

# चाकूबाजी में युवक की मौत

कोटा, (निसं)। नयापुरा थाना इलाके में आपसी लड़ाई को लेकर गुरूवार देर रात्रि को दो जनो ने एक युवक के ऊपर चाकू से तबाड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जिसे गंभीर घायलावस्था में उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां युवक की शुक्रवार को अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

नयापुरा थानाधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि कालपुरिया निवासी राहुल (22) पर आपसी लड़ाई के चलते दो जनो ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। जिसे उपचार के लिये एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां राहुल ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है फिलहाल आपसी लड़ाई के पीछे चाकूबाजी का मामला सामने आया है।

थानाधिकारी ने बताया कि लक्की वाल्मीकी नाम के दो आरोपियों के खिलाफ नामर्जद मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।


**कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक : एफ-15/कृ.भू.रु./2025/425 -::- **विज्ञप्ति** -::- दिनांक : 06.06.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम शिवपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना चित्रगुप्त कॉलोनी भूखण्ड संख्या 69 खसरा नं. 73 आवेदक / आवेदिका श्रीमती रजनी भटनागर पत्नि श्री दिवाकर सक्सेना निवासी म.नं. ए-69 चित्रगुप्त कॉलोनी, महावीर नगर विस्तार कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 1555 दिनांक 03.09.2013 को श्री दिवाकर सक्सेना पुत्र श्री हरिश चन्द्र सक्सैना के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 27.12.2021 को हो चुकी है। मृतक दिवाकर सक्सेना के विधिक वारिसान पत्नि रजनी भटनागर, पुत्री निधि पटेल, प्रियती सक्सेना, पुत्र अनमोल सक्सेना है। वारिसान निधि पटेल, प्रियती सक्सेना, पुत्र अनमोल सक्सेना द्वारा जर्ये रजि. हकत्याग पत्र दिनांक 13.09.2023 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है। अत: श्रीमती रजनी भटनागर पत्नि श्री दिवाकर सक्सेना के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त, कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**



**राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**

क्रमांक:-653 **जाहिर आम सूचना** दिनांक:-6.6.25

आवास संख्या 3-द-37 विज्ञान नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री प्रहलाद पुत्र श्री मांगीलाल को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री गौत्तम कुमार पुत्र श्री राम कुमार के नाम दिनांक 16.09.1999 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री गौत्तम कुमार पुत्र श्री राम कुमार द्वारा दिनांक 27.09.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरान्त श्री गौत्तम कुमार पुत्र श्री राम कुमार द्वारा इस आवास से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु अपनी और से दिनांक 25.12.2000 को मुख्तार आम आलेखित कर श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शादी लाल जैन को अपना मुख्तारआम नियुक्त किया गया। श्री अशोक कुमार जैन पुत्र स्व. श्री शादी लाल जैन मुख्तार आम श्री गौत्तम कुमार पुत्र श्री राम कुमार द्वारा मुख्तारआम की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 06.05.2006 को श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन को किया गया। श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-द-37 विज्ञान नगर, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नही है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री अशोक कुमार जैन के नाम दर्ज कर दिया जावेगा। **उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा**


## सार-समाचार

### अफीम डोडा-चूरा सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा 23 किलो 420 ग्राम सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम एवं तस्करों की धरपकड़ को लेकर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक गंगासहाय शर्मा के निर्देशन में भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान अजय आहुजा पार्क के समीप घुम रहे एक व्यक्ति पर संदेह होने पर रोककर मौके पर उसको डिटेन कर उसके पास मौजूद सामान की तलाशी ली तो उसके पास से अवैध मादक पदार्थ 23 किलो 420 ग्राम अफीम बरामद की गई। पुलिस ने मादक पदार्थ अफीम बरामद होने पर मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए जिला बाड़मेर के थाना रामसर ग्राम खारा राठोरान निवासी जसवन्ता राम (43) को गिरफ्तार किया।

### युवती ने आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। उद्योग नगर थाना इलाके में एक युवती ने घर में फांसी का फन्दा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका युवती उद्योग नगर थाना इलाके के प्रेम नगर अर्फोडेबल हाउसिंग इलाके की निवासी जया शर्मा (24) थी। जानकारी के अनुसार मामले में सामने आया कि मृतका युवती बीएड करके प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। युवती को नीचे उतारकर एमबीएस अस्पताल लाया गया। जहां मौजूद चिकित्सक ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उद्योग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि अर्फोडेबल हाऊसिंग इलाके की निवासी जया शर्मा (24) ने घर में फांसी का फन्दा लगा लिया। मृतका के पिता की कुछ महीने पहले मौत हुई थी प्रथम दृष्टा से मामले में सामने आया कि युवती अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में चल रही थी। मृतका युवती के शव पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के पीछे कोई कारण सामने नही आया है।

### इस्तीफे निरस्त

छबड़ा (निसं)। पिछले दिनों भाजपा एससी मोर्चा के 4 कार्यकर्ताओ ने इस्तीफा दिया था, इस मामले में विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अपने निजी आवास जयपुर बुलाकर उनकी समस्याएं व गीले शिकवे सुनकर उनकी समस्याओं को सुना और मजबूती के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर उनकी समाज हित की समस्याओं के त्वरित समाधान कर निराकरण किया। साथ ह कार्यकर्ता गोविंद माचल एससी मोर्चा अध्यक्ष, सुनील तेजस्वी पूर्व पार्षद, राजेंद्र घेंघट पूर्व एससी मोर्चा अध्यक्ष, महेंद्र खरारा एससी मोर्चा मंत्री के इस्तीफे को भी नगर मण्डल अध्यक्ष भूपेन्द्र सुमन ने नामंजूर कर निरस्त कर दिया।

### आज व कल विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी

रामगंजमण्डी, (निसं)। उपखण्ड क्षेत्र में चेचट में 7 जून शनिवार व 8 जून रविवार को 33/11 केवी जीएसएस चेचट से जुड़े 11केवी फिडरों पर मांइस-प्रथम व मांइस- द्वितीय पर 11 केवी तार बदलने हेतु प्रात: 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक उक्त फिडरों से जुडे हुए उपभोक्ताओं की विद्युत सप्लाई बन्द रहेगी। यह जानकारी सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम चेचट ने दी।

# रामगंजमंडी के तीन उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस रद्द

कोटा, (निसं)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं मिलने पर रामगंजमंडी के तीन उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई है। जिला रसद अधिकारी कोटा द्वितीय कुशाल बिलाला ने बताया कि इन दुकानदारों का व्यवहार सीधे तौर पर सरकारी गेहूं का गबन (चोरी) मानते हुए इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया तथा 1000 रूपये की जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इन दुकानदारों के खिलाफ आपराधिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) और गायब स्टॉक की वसूली के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई अदिति जगरवाल, प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति अलोद, हेमराज धाकड़, कोटडी और ताहिर अली, चेचट के विरुद्ध गंभीर अनियमितताएं रिपोर्ट की गयी थी। जांच और सुनवाई में इन डीलरों द्वारा बड़ी मात्रा में गरीबों को बाटी जाने वाले खाद्य सुरक्षा गेहूं की मात्रा का गबन किया जाना मिला। निलंबन के बाद, इन डीलरों को बचे हुए स्टॉक को उनकी जगह अस्थायी नियुक्त अन्य उचित मूल्य दुकानदार को सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा स्टॉक की सुपुर्दगी नहीं की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति अलोद के (व्यवस्थापक सुरेश) के मामले में 137.83 क्विंटल गेहूं, हेमराज धाकड के मामले में 60 क्विंटल गेहूं और ताहिर अली के मामले में 50.65 क्विंटल गेहूं गायब पाया गया।

कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, डीलरों ने गायब स्टॉक के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया और स्टॉक की पूर्ति के लिए समय मांगा। विभागीय दर से गायब स्टॉक की कीमत सुरेश के मामले में लगभग 4 लाख 39 हजार 261 रूपये, हेमराज धाकड़ के मामले में 1 लाख 91 हजार 220 रूपये और ताहिर अली के मामले में 1 लाख 61 हजार 440 रूपये आंकी गई है, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश, 1976 का उल्लंघन है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इन दुकानों के अक्सर निर्धारित समय पर बंद मिलने की शिकायत मिलती थी और बंद का कारण भी नोटिस बोर्ड पर अंकित नहीं होता था। उपभोक्ताओं ने बताया कि राशन का वितरण प्रत्येक माह 20 तारीख के बाद ही किया जाता था। निरीक्षण के दौरान डीलरों की अनुपस्थिति और संतोषजनक स्पष्टीकरण न देना भी अनियमितता का हिस्सा रहा।

मई 2025 की ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद इन डीलरों द्वारा वितरण शून्य या बहुत कम रहा, जिससे खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को राशन सामग्री से वंचित रखा गया। यह भी पाया गया कि पिछले महीनों (मार्च और अप्रैल 2025) में भी वितरण देर से शुरु हुआ, जो स्टॉक के निजी लाभार्थ दुरुपयोग और गायब स्टॉक की पूर्ति के लिए आगामी माह की आपूर्ति की प्रतीक्षा करने का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, डीलरों ने पोस मशीन को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए केवल 1-2 राशन कार्डों पर लेनदेन किया और दुकान खुलने बंद होने का समय, हेल्पलाइन नंबर तथा स्टॉक जैसी आवश्यक जानकारी भी प्रदर्शित नहीं की। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने और राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम-1952 के अंतर्गत गायब वस्तुओं की कीमत की वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।


**कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

क्रमांक:-एफ11/विक्रय/2025/84 दिनांक:-2.6.25

**नाम हस्तांतरण चाहने बाबत् आम सूचना**

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखण्ड संख्या 43 श्रीनाथपुरम-सी व्यावसायिक योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 816 दिनांक 09.01.2023 को श्री प्रखर सक्सेना पुत्र श्री कांति भूषण सक्सेना के नाम आवंटन किया गया था। श्री प्रखर सक्सेना पुत्र श्री कांति भूषण सक्सेना द्वारा उक्त भूखण्ड का जर्ये मुख्तारआम श्री जमना लाल भार्गव पुत्र श्री श्याम लाल भार्गव द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2025 को श्रीमती कमलेश महावर पत्नी श्री कैलाश चंद महावर को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती कमलेश महावर पत्नी श्री कैलाश चंद महावर द्वारा उक्त भूखण्ड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या43 श्रीनाथपुरम-सी व्यावसायिक योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती कमलेश महावर पत्नी श्री कैलाश चंद महावर के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**



**कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

**विज्ञप्ति**

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू/2025/423 दिनांक:-6.6.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम डडवाड़ा योजना "शांति नगर" खसरा नं. 79 में स्थित भूखण्ड संख्या 27 पैमाईश 71.66 वर्गगज के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री गजराज सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह निवासी-मकान नं. 398, गली नं. 6 आनन्द विहार मुर्गी फार्म डडवाड़ा कोटा जंक्शन कोटा राजस्थान द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 774 दिनांक 21.07.2013 को श्रीमती बृजकंवर पत्नी स्व. प्रताप सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टाधारी की मृत्यु दिनांक 17.08.2021 को हो चुकी है। पट्टाधारी द्वारा अपने जीवनकाल में एक अपंजीकृत वसीयत दिनांक 13.02.2015 को अपने पुत्र श्री गजराज सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह के पक्ष में आलेखित की गई थी। आवेदक द्वारा संलग्व वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्रों के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अत: श्री गजराज सिंह जादौन पुत्र स्व. श्री प्रताप सिंह के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**


# मंत्री मदन दिलावर ने जनसुनवाई की

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को जिला परिषद भवन, बारां के प्रथम तल स्थित हॉल में खुली जनसुनवाई कर आमजन को मौके पर ही राहत प्रदान की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या टालमटोल रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जनता के काम समय पर होने चाहिए। जनसुनवाई के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉ.ललित मीणा, जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी एवं सीईओ राजवीर सिंह चौधरी सहित सभी जिला स्तरीय विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री दिलावर ने एक-एक व्यक्ति की बात ध्यानपूर्वक सुनी और अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देकर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। जनसुनवाई के दौरान पेयजल संकट, रास्ता खोलने, अतिक्रमण हटाने, बिजली की आपूर्ति, पेंशन में विलंब, शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, अवैध कब्जा, साफ-सफाई जैसे विषयों पर कुल 182 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त कई नागरिक बिना आवेदन के ही सीधे शिविर स्थल पर उपस्थित होकर अपनी समस्याएं बताने पहुंचे। मंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों की भी विशेष भागीदारी देखने को मिली। मंत्री दिलावर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और जनसुनवाई जैसी व्यवस्थाएं जनता और शासन के बीच सेतु का कार्य करती हैं।

कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्राप्त आवेदनों की मॉनिटरिंग करते हुए समुचित फॉलोअप सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके। जनसुनवाई के दौरान कई मामलों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जिससे उपस्थित नागरिकों में संतोष और विश्वास का माहौल दिखाई दिया।

## हॉस्पिटल में वाटर कूलर लगाया

झालावाड़ (निसं)। इनरव्हील क्लब द्वारा शुक्रवार को झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के जानना हॉस्पिटल के बाहर वाटर कूलर की स्थापना की गई। इस दौरान क्लब अध्यक्ष अमिता अथर पंवार ने कहा कि गर्मियों के मौसम में मरीजों को ठंडे पानी की आवश्यकता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, और आगे भी क्लब जनहित के लिए इस प्रकार की सेवाएं करता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन क्लब की उपाध्यक्ष स्वाति विजय ने किया। इस दौरान क्लब की ऋतु गुप्ता, नीना शेखावाटी, अनीशा जैन, ममता गुप्ता, सुनीता रावत, कविता जैन, सुहानी चौधरी, विभा जैन, उर्मिला जैन, शिल्पी जैन, रचना जैन, लीला जैन, शिवा जैन, रेणु जिंदल, इन सभी महिलाओं ने अपने सेवा भाव और समर्पण से इस आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल में उपचार हेतु आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध कराना है।


**एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड**

(ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

**परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 30/दिसम्बर/2024 को संदर्भ संख्या CB/SAR/13-2/AGR/DEC-2024/11 ऋण खाता संख्या: 2306225155419990 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ जमानतदार/बंधककर्ता मेसर्स माधवी ऑयल इंडस्ट्रीज एलएलपी जरिए पार्टनर्स श्री कृष्णा कुमार मित्तल व श्री अरविंद कुमार मित्तल (ऋणी/बंधककर्ता), श्री कृष्णा कुमार मित्तल पुत्र श्री अरुण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री अरविंद कुमार मित्तल पुत्र श्री अरुण कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्रीमती अलका मित्तल पत्नी श्री अरविंद कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) श्रीमती संजना मित्तल पत्नी श्री कृष्णा कुमार मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता), श्री अरुण कुमार मित्तल पुत्र श्री नारायण प्रसाद मित्तल (जमानतदार/बंधककर्ता) के लिए ऋण खाता संख्या 2306225155419990 रूपये 10,31,29,516/- (रूपये दस करोड़ इकतीस लाख उनतीस हजार पांच सौ सोलह मात्र) दिनांक 30 दिसम्बर 2024 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 03 जून 2025 को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार के लिए ऋण खाता संख्या 2306225155419990 रूपये 10,92,41,624/- (रूपये दस करोड़ बानवे लाख इकतालिस हजार छः सौ चौबीस मात्र) दिनांक 31 मई 2025 तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

**स्थावर सम्पत्ति का विवरण**

1. व्यवसायिक सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, शॉप नं. पी-5, ग्राउण्ड फ्लोर (बिना छत अधिकार के), स्थित मोरी के हनुमानजी मंदिर के सामने, पुरानी धानमंडी, कोटा, राजस्थान एरिया क्षेत्रफल 185 वर्ग फीट जो की श्रीमती अलका मित्तल के स्वामित्व में है।
सीमाएँ: -
पूर्व-शॉप नं. पी-4 पश्चिम-शॉप नं. पी-6
उत्तर-आम मार्ग दक्षिण-हेमंत जैन व कमल किशोर का मकान

2. आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. ए-4 (उत्तर), स्थित जवाहर नगर, गांव बालाकुंड, तहसील- लाडपुरा, कोटा, राजस्थान एरिया क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट जो की श्री अरविंद कुमार मित्तल व श्रीमती कृष्णा कुमार मित्तल के स्वामित्व में है।
सीमाएँ: -
पूर्व-प्लॉट नं. ए-5 पश्चिम-प्लॉट नं. ए-3
उत्तर-रोड़ दक्षिण-प्लॉट नं. ए-4 का शेष भाग

3. आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. 530, स्थित महावीर नगर दूसरा, कोटा, राजस्थान एरिया क्षेत्रफल 962 वर्ग फीट जो की श्रीमती अल्का मित्तल, श्रीमती संजना मित्तल के स्वामित्व में है।
सीमाएँ: -
पूर्व-अन्य प्लॉट पश्चिम-रोड़
उत्तर-प्लॉट नं. 531 दक्षिण-प्लॉट नं. 529

4. आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. 221 बी, स्थित तलवंडी स्कीम, कोटा, राजस्थान एरिया क्षेत्रफल 3000 वर्ग फीट जो की श्री कृष्णा कुमार मित्तल, श्री अरविंद कुमार मित्तल व श्री अरूण कुमार मित्तल के स्वामित्व में है।
सीमाएँ: -
पूर्व-प्लॉट नं. 220-बी पश्चिम-प्लॉट नं. 222-बी
उत्तर-रास्ता दक्षिण-प्लॉट नं. 248-बी

5. इंडस्ट्रीयल सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग, प्लॉट नं. जी-1-5, स्थित इंडस्ट्रीयल एरिया, एग्रो फूड पार्क प्रथम फेस, रानपुर, कोटा, राजस्थान एरिया क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर जो की मेसर्स माधवी ऑयल इंडस्ट्रीज एलएलपी जरिए पार्टनर्स श्री कृष्णा कुमार मित्तल व श्री अरविंद कुमार मित्तल के स्वामित्व में है।
सीमाएँ: -
पूर्व-इंडस्ट्रीयल भूमि जी-1-4 पश्चिम-प्लॉट नं. जी-1-6
उत्तर-रोड़ दक्षिण-पी. नं. एसपी-1

दिनांक: 03 जून 2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: कोटा, राजस्थान एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



**कृषि अनुसंधान केन्द्र**

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)

दाहोद रोड, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001

Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in

क्रमांक : एफ ( )/कृअके/2024-25/129-134 दिनांक 03.06.2025

**निविदा सूचना (2025-26)**

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.06.2025 प्रात: 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन प्रात: 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

| कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (रू.) | धरोहर राशि (रू.) | निविदा शुल्क (रू.) |
|---|---|---|---|
| कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट फार्म बांसवाड़ा पर संचालित बी.टी. कपास परियोजनाओं में कृषि कार्य। | 7,00,000/- | 14,000/- | 500/- |

संभागीय निदेशक अनुसंधान



**कृषि अनुसंधान केन्द्र**

दाहोद रोड, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327001

(महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)

Mo. No. 8112207969 / 9414389929 Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com, Visit us : www.mpuat.ac.in

क्रमांक : एफ ( )/कृअके/2025-26/123-128 दिनांक 31.05.2025

**निविदा सूचना (2025-26)**

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक/ ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य / कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमन्त्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक/ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्ते विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpuat.ac.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 12.06.2025 प्रात: 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदायें उसी दिन प्रात: 11.30 बजे तक जमा की जाकर मध्यान्ह् 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

| कार्य का विवरण | अनुमानित लागत (रू.) | धरोहर राशि (रू.) | निविदा शुल्क (रू.) |
|---|---|---|---|
| फल अनुसंधान केन्द्र, जलदाय विभाग के पीछे, बांसवाड़ा तथा कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरवट फार्म, बांसवाड़ा पर संचालित कपास, मक्का, PVT परियोजना में कृषि कार्य। | 723575/- | 14500/- | 500/- |

संभागीय निदेशक अनुसंधान


# श्रीराम दरबार की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की

छबड़ा (निसं)। यादव (जाटव) समाज के नवनिर्मित श्रीराम जानकी मंदिर में पांच दिवसीय समारोह के अंतिम दिन गुरुवार को वैदिक रीति रिवाज के साथ श्रीराम दरबार की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई। जब श्रीराम-जानकी दरबार प्रतिमाएं कस्बे में भ्रमण पर निकली तो राम दरबार की छवि को निहारने के लिए घरों से जनसमूह निकल पडा। वही पग, पग पर शहरवासियों ने प्रभु श्रीराम दरबार के स्वागत सत्कार में पलक पावड़े बिछाए। यहां आमजन ने इस कार्यक्रम ने धार्मिक भावना के साथ भागीदारी निभाई।

श्रीराम जानकी मंदिर में पांच दिवसीय समारोह में अतिथियों का स्वागत किया गया।

महिलाओं ने शोभायात्रा मार्ग में भजन कीर्तन, जयघोषों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महिलाएं, बच्चे, नौजवान डीजे की भक्ति संगीत की धुन पर थिरकते नजर आए। इस अवसर पर उपस्थित 10 हजार से अधिक जनसमूह की मौजूदगी में चार जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। भव्य समारोह में व्यवस्थाओ के उचित प्रबंधन के लिए अतिथियों व बाहर से आए समाजबंधुओं ने समिति की प्रशंसा की। मीडिया प्रभारी श्याम सुंदर यादव व नरेंद्र यादव ने बताया कि खेल मैदान से श्रीराम दरबार भव्य शोभायात्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकला। जिसके आगे आगे चल रहे घुड़सवार शोभायात्रा को सुशोभित कर रहे थे। इसके बाद फूलो से सुसज्जित खुली जीप में मुख्य यजमान भगवतीप्रसाद यादव (पूर्व सरपंच) व उनके पुत्र कपिल यादव (पूर्व पालिका उपाध्यक्ष) सहित अन्य परिवारजन सवार हो श्रीराम दरबार को विराजित कर चल रहे थे। इसके उपरांत बग्गियों में श्रीराम-सीता, राधा-कृष्ण की सजीव झांकियां सभी को मनमोहित कर रही थी। जैसे ही दुकानों, प्रतिष्ठानों के सन्मुख शोभायात्रा पहुंची तो आरती उतारकर, पुष्पा वर्षा कर प्रभु श्रीराम की पूजा अर्चना की। इस उपलक्ष में चार जोड़ो का धार्मिक रीतिरिवाज अनुसार पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न हुआ। जिसके बड़ी संख्या मे उपस्थित समाजबंधु साक्षी बने। यहां हाल में आए परीक्षा परिणामो में जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वी व 12वी में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए है, उन्हें सम्मानित किया गया। दूर-दराज से आने वाले अतिथियों व समाजबंधुओं ने भव्य समारोह में व्यवस्थाओ के उचित प्रबंधन के लिए यहां के समाज, समिति का आभार जताया। समारोह को सफल व भव्य बनाने के लिए समाज अध्यक्ष एवं समारोह के संरक्षक दिलीप यादव, समारोह अध्यक्ष रामप्रसाद यादव, नवयुवक मण्डल अध्यक्ष चन्दू यादव सहित समस्त पदाधिकारियो ने समाजबंधुओं, युवाओं, मातृशक्ति, समाजसेवियों, भामाशाहों व पुलिस, प्रशासन का आभार व्यक्त किया। वही समाजबंधुओं ने तीनो अध्यक्षो का स्वागत सम्मान किया।

उल्लेखनीय है कि कई वर्षों बाद समाज द्वारा ऐतिहासिक व भव्य आयोजन व्यवस्थित रुप से सम्पन्न होने पर समारोह की सराहना हो रही है। विधायक अनुज महाराज सिंह सिंघवी, वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी, श्याम कचनारिया, पूर्व विधायक करणसिंह राठौड़, प्रधान हरिओम नागर, नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सुमन, समाजसेवी सीपी गेरा, हरिओम गौड़, अशोक मित्तल, नरेंद्र गुर्जर, जिला परिषद सदस्य फूलसिंह मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी भरत राठौर सहित आदि ने अतिथि के रूप में शिरकत की।


**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार रवीश चंद्र गुप्ता निवासी-मकान नं. 740, प्रताप नगर सीएडी सर्किल के पास, कोटा राजस्थान अपने पुत्र प्रतीक गुप्ता व पुत्रवधू श्रीमती श्रैया केडिया गुप्ता के आचरण से व्यथित होकर मेरे पक्षकार द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधू को अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है व मेरे पक्षकार का इनसे किसी प्रकार का कोई लेन देना नहीं है तथा इनका मेरे पक्षकार की व्यक्तिगत/पारिवारिक/पुश्तैनी संपत्ति पर किसी प्रकार का कोई हक नही है। मेरे पक्षकार के पुत्र व पुत्रवधू द्वारा व्यक्तिगत व संयुक्त रूप से किए गए किसी भी संव्यवहार लेन देन, हर्जे-खर्चे व विधिक कार्यवाही से मेरे पक्षकार व उसके परिवार का कोई लेना देना नही होगा। कृपया सूचित हो।

भवदीय
अजय शर्मा, एडवोकेट



**आम सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह आयु 48 वर्ष जाति राजपूत निवासी सागर स्कूल के पास, महावीर कॉलोनी, रंगपुर कोटा जं. कोटा (राज.) अपने पुत्र दीपेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह आयु 27 वर्ष व पुत्रवधु नेहा सौलंकी पत्नी दीपेन्द्र सिंह आयु 25 वर्ष, निवासीगण सागर स्कूल के पास, महावीर कॉलोनी, रंगपुर कोटा जं. कोटा (राज.) उपरोक्त दोनों पुत्र व पुत्रवधु मेरे पक्षकार से लड़ाई झगडा करते है एवं मेरे पक्षकार की बात नहीं मानते है तथा मेरे पक्षकार के वश में नहीं रहे है एवं मेरे पक्षकारे की किसी प्रकार सेवा सुश्रुवा नहीं करते है इस कारण मेरा पक्षकार अपने पुत्र दीपेन्द्र सिंह को अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करता है और दिनांक 06.06.2025 के पश्चात मेरे पक्षकार का उसके पुत्र व उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नही रहेगा और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पुत्र व उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई लेन-देन करता है तो उससे मेरे पक्षकार को कोई लेना-देना नहीं होगा। सूचित हो।
कोटा

भवदीय
एडवोकेट देवव्रत शर्मा